<u>उत्तर पश्चिम रेलवे</u>

प्रधान कार्यालय, निर्माण विभाग, 5 वां तल,

जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर - 302017

<u>उत्तर पश्चिम रेलवे पर निर्माण परियोजनाओं के लिए खुली भर्ती से संविदा आधार पर</u>

<u>तकनीकी मानव शक्ति (मैन पावर) के विनियोजन के क्रम में</u>

<u>(उत्तर पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन)</u>

<u>विस्तृत अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या: 01/2018 (उ.प.रे. / निर्माण)

आरंभ होने की तिथि:27.08.2018 आवेदन करने की अंतिम तिथि:26.9.2018 (समयः17.00 बजे तक)

विषयः उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण संगठन में खुली भर्ती_से रिक्तियों को संविदा आधार पर भरने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षकों (निर्माण / वर्क्स) के विनियोजन के क्रम में ।

*****

उत्तर पश्चिम रेलवे पर निर्माण परियोजनाओं के लिए खुली भर्ती से **तकनीकी पर्यवेक्षकों के 24 पदों** (**01 पद** वरिष्ठ तकनीकी एशोसिएट (निर्माण / वर्क्स) एवं **23 पद** कनिष्ठ तकनीकी एशोसिएट (निर्माण / वर्क्स) के लिए **पूर्ण रूप से संविदा आधार** पर भरने हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ तकनीकी एशोसिएट एवं कनिष्ठ तकनीकी एशोसिएट पदों के लिए अनुलग्नक-I के अनुसार आवेदन अलग-अलग, **वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण), कमरा नं.524, 5वां तल, उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर-302017** को **केवल साधारण डाक** से भेजे जाएँ ***(कोरियर डाक / पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।)*** अथवा **वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण) के कार्यालय में रखे बॉक्स में किसी भी कार्य दिवस में अंतिम तिथि अर्थात 26.09.2018 को 17.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से डाल सकते हैं।** असम, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एंव स्फीति जिलों तथा चम्बा जिले के पंगी उप मंडल, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के निवासियों तथा विदेश में रहने वाले भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि साधारण डाक से **11.10.2018 को 17.00 बजे** तक रहेगी।

नोट (I):"बिना शुल्क या कम शुल्क के साथ आवेदन, अमान्य डी.डी.(अधिसूचना आरंभ होने की तिथि से पहले या अधिसूचना की समाप्ति तिथि के बाद जारी डी.डी.) **को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा"।**

नोट (II):"अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा"।

(1) <u>रिक्तियों का विस्तृत विवरणः</u>

क्र.सं.	पद	रिक्तियों की संख्या				
		अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)	कुल
1.	वरिष्ठ तकनीकी एशोसिएट (निर्माण / वर्क्स)	1	0	0	0	1
2.	कनिष्ठ तकनीकी एशोसिएट (निर्माण / वर्क्स)	12	3	2	6	23

<u>नोट:</u> विनियोजन के उपरांत एस.टी.ए. व जे.टी.ए. को कार्य की आवश्यकतानुसार उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण को सौंपी गई परियोजनाओं के लिए उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) की फील्ड ईकाईयों जैसे जयपुर , दौसा , अजमेर, उदयपुर, डूँगरपुर, रतलाम, बीकानेर तथा जोधपुर के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में परियोजनाओं हेतु तैनात किया जाएगा। यदि इस दौरान नई ईकाईयाँ सृजित होती है, तो विनियोजित किए गए एस.टी.ए. व जे.टी.ए को आवश्यकतानुसार इन ईकाईयों में तैनात / स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u>:

अभ्यर्थियों के पास उक्त अधिसूचना के आरंभ होने से पूर्व या आरंभ होने की तिथि के समय अधिसूचित पदों के लिए निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

क्र.सं.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)	1.1 <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u> निम्न में चार वर्षीय स्नातक डिग्री (क) सिविल इंजीनियरिंग **अथवा** (ख) सिविल इंजीनियरिंग की मूल धारा के साथ किसी भी उपधारा के संयोजन के साथ, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से हो।
2	कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)	2.1 <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u> (क) सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय बी.एस.सी. स्नातक **अथवा** (ख) सिविल इंजीनियरिंग की मूल धारा के साथ किसी भी उपधारा के संयोजन के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय बी.एस.सी. स्नातक, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से हो **अथवा** उपर्युक्त पैरा 1.1 में वर्णित वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता।

नोट(i): वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट के अभ्यार्थियों के लिए उपर्युक्त पैरा 1.1 में वर्णित स्नातक डिग्री व कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट के लिए उपर्युक्त पैरा 2.1 में वर्णित डिप्लोमा /स्नातक डिग्री में निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त होने चाहिए:-

(क)	सामान्य उम्मीदवार	:	60%
(ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	:	55%
(ग)	अनु.जाति / जनजाति उम्मीदवार	:	50%

नोट(ii): यदि उम्मीदवार की अंक तालिका में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण प्रदर्शित नहीं है, तो उम्मीदवार कालेज / विश्वविद्यालय द्वारा जारी सहायक दस्तावेज, जिनमें सीजीए / सीपीए / सीजीपीए इत्यादि जो अंकों की समकक्षता को कुल अंकों (प्रतिशत) के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाते हों, को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।

(3) <u>संबंधित व्यावसायिक अनुभव</u>:

क्र.सं.	पद	संबंधित व्यावसायिक अनुभव
1	***वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)***	**1.1 <u>संबंधित व्यावसायिक अनुभव</u>** सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम/ अर्ध सरकारी संस्थाओं में न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित व्यवसायिक अनुभव वांछनीय है। सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए प्राईवेट ठेकेदार या प्राईवेट कंपनी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के व्यावसायिक अनुभवों पर भी विचार किया जाएगा।

2	**कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)**	**2.1** **संबंधित व्यवसायिक अनुभव** सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम/ अर्ध सरकारी संस्थाओं में न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित व्यावसायिक अनुभव वांछनीय है। सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए प्राईवेट ठेकेदार या प्राईवेट कंपनी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के व्यावसायिक अनुभवों पर भी विचार किया जाएगा।

नोट :- आवेदकों को अनुभव के साक्ष्य के रूप में उनके नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण - पत्र, वेतन पर्ची इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। प्राइवेट कंपनियों अथवा ठेकेदारों के साथ किए गए कार्य या कार्य कर रहे हों, के अनुभव के मामले में अनुभव प्रमाण - पत्र पर सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों / अर्ध सरकारी संस्थानों के राजपत्रित अथवा समकक्ष प्राधिकारी जिसमें प्राईवेट कंपनी या ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया है / किया जा रहा है के प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

"उपर्युक्त के अलावा उम्मीदवार को अनुभव प्रमाण के रूप में कार्य अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए एक **नोटेरी** से सत्यापित **शपथ- पत्र** प्रस्तुत करना होगा। "

(4) आयु सीमा :-

4.1 वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) - 21 से 35 वर्ष

4.2 कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) - 18 से 33 वर्ष

संविदा आधार पर विनियोजन के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा की गणना अधिसूचना आरंभ होने की तिथि से की जाएगी। अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

(i) अनुसूचित जाति /जन जाति उम्मीदवारों के लिए : 05 वर्ष

(ii) अन्य पिछडा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए : 03 वर्ष

नोट: (i) अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी।

(ii) आयु सीमा की गणना के लिए दसवीं / मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र / समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण- पत्र / शैक्षणिक प्रमाण - पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, अनिवार्य है। इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(5) स्क्रीनिंग एवं व्यावसायिक व्यक्तित्व जाँच शुल्क :-

क्र.सं.	उम्मीदवारों की श्रेणी	शुल्क
(i)	नीचे उप पैरा (ii) में वर्णित श्रेणियों को छोडकर सभी उम्मीदवारों के लिए केवल डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट)	500 रूपये
(ii)	अनुसूचित जाति / जनजाति / महिलाएँ / अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए केवल डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट) *वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट तथा कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क की 250/- रूपये की राशि व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के पैनल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लौटाई जाएगी।*	250 रूपये*

* यदि अनुसूचित जाति / जनजाति / महिलाएँ / अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार अनुलग्नक- II, IV, V, एवं VI के अनुसार निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी पूर्णरूप से निरस्त कर दी जाएगी।

<u>नोट</u>:

(i) **डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी / निर्माण / उ.प.रेलवे के पक्ष में जयपुर में देय होना चाहिए।** उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन में दिए गए स्थान पर डी.डी. का विस्तृत विवरण भरें।

(ii) अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जरथ्रुसिस्ट (पारसी) से है। परीक्षा शुल्क में छूट के लिए दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न **<u>अनुलग्नक-II</u>** में दिया गया स्व: घोषणा पत्र भरना होगा। व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के समय, ऐसे उम्मीदवार जो अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित है, को परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करते समय, नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर **"अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा"** का **शपथ-पत्र** भरकर देना होगा।
यदि व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान शपथ-पत्र भर कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनका शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।

(iii) आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार से आशय ऐसे उम्मीदवारों से है जिनकी पारिवारिक आय 50000/- रूपये वार्षिक से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में संलग्न **<u>अनुलग्नक-III</u>** में जारी करने वाले प्राधिकारी के लैटर हैड पर आय प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) आवेदन भेजने के लिए डाक का पता:-

अनुलग्नक- I में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन- पत्र विधिवत रूप से भरकर अपेक्षित **स्व-सत्यापित** दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में **साधारण डाक** द्वारा नीचे दी गई सारणी में दिए गए पते पर भेजा जाना चाहिए अथवा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए आवेदन बॉक्स में डाला जाए। **पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/ कूरियर/रजिस्टर्ड एडी द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** किसी काउंटर से कोई पावती नहीं दी जाएगी। लिफाफे के उपर "**<u>उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण संगठन में संविदा आधार पर तकनीकी मानव शक्ति (मैन पावर) का विनियोजन</u>"** लिखा जाए।

आवेदक के आवेदन-पत्र में या प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी / विसंगतियाँ पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

क्र. सं.	**संगठन का नाम**	**आवेदन-पत्र भेजने का पता**	**निम्न के पक्ष में जयपुर में देय किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक का डी.डी.**
1	उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण), प्रधान कार्यालय, जयपुर	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण), कमरा नं. 524 , 5वां तल, उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर-302017	" वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे " के पक्ष में जयपुर में देय।

(7) <u>आरक्षण</u>: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमी लेयर) के लिए विद्यमान नियमों के तहत स्वीकार्य आरक्षण लागू होगा।

नोट(i): अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समुदाय पर ध्यान दिए बिना सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। विशेष समुदायों {अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)} के लिए चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध केवल उसी समुदाय के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन / स्क्रीनिंग के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के मामले में जारी प्रमाण-

पत्र जो कि आवेदन आरंभ होने की तिथि से **एक वर्ष** पुराना नहीं हो तथा इसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 23012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 के कॉलम-3 में उल्लेखित तथा ज्ञापन सं. 26033/332004- स्थापना (आरक्षण) दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013,13.09.2017 के अंतर्गत इसके उत्तरवर्ती संशोधनों और आवेदन आरंभ होने की तिथि तक प्राप्त कोई भी अन्य संशोधन के अनुसार वह व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

नोट(ii): ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध {अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)} आवेदन करते हैं, और / अथवा आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो उनको निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-IV,V व VI में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण- पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा वे {अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमी लेयर)} के लिए आरक्षित आरक्षण के हकदार नहीं होंगे और ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी / आवेदनों को यदि वे सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के लिए निर्धारित अर्हताएँ पूरी करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को केवल **सामान्य श्रेणी** की रिक्तियों के विरूद्ध विचार किया जाएगा।

नोट(iii): ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के है तथा वे अनारक्षित पदों के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता पूरी करते हैं, तो वे **अनारक्षित रिक्तियों** के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते है। तथापि उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। **अनारक्षित रिक्तियों** के विरूद्ध आवेदन करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता व शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। तथापि उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र में अपना वास्तविक समुदाय को दर्शाना है।

उम्मीदवार या तो आरक्षित, या अनारक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन कर सकता है।

(8) <u>चयन प्रक्रिया</u>:

चयन " स्क्रीनिंग " द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीनिंग एक दिन से अधिक दिनों में भी आयोजित की जा सकती है।

<u>स्क्रीनिंग मापदंड</u>:-

(i) स्क्रीनिंग निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगी:

अधिकतम 100 अंकों का वितरण निम्नानुसार है:

क. <u>शैक्षणिक योग्यता:</u> **अधिकतम : 40 अंक**

वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए :-

शैक्षणिक योग्यता	अंक
मद सं. (2)-1.1 के अनुसार	**30**
उच्चतर शिक्षा (एमटेक / एमएस/एमबीए अथवा समकक्ष)	**10**

कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए :-

शैक्षणिक योग्यता	अंक
मद सं. (2)-2.1 के अनुसार	**30**
उच्चतर शिक्षा (बी. टेक अथवा समकक्ष)	**05**
उच्चतर शिक्षा (एमटेक / एमएस / एमबीए अथवा समकक्ष)	**05**

<u>नोट(I):</u> उम्मीदवार को उसके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों पर ध्यान दिए बिना, शैक्षणिक योग्यता के पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे बशर्ते न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंक पैरा 2 के नोट (I) में दर्शाये गए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत की अर्हता पूर्ण करते हों।

(ख) <u>कार्य अनुभव</u>: अधिकतम-40 अंक

क्र.सं.	कार्य अनुभव	अंक	टिप्पणी
1	वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए 02 वर्ष तथा कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए 01 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।	20	अधितकम 25 अंक
2	एस.टी.ए. के लिए 02 वर्ष / जे.टी.ए. के लिए 01 वर्ष जैसा भी मामला हो, के अतिरिक्त एक वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के लिए।	2.5	
3	एस.टी.ए. के लिए 03 वर्ष / जे.टी.ए. के लिए 02 वर्ष जैसा भी मामला हो, के अतिरिक्त एक वर्ष या अधिक के व्यावसायिक अनुभव के लिए।	2.5	
4	मद सं. 1, 2 व 3 के अनुसार व्यावसायिक अनुभव अगर **रेलवे परियोजनाओं में हो तो अतिरिक्त महत्व** निम्नानुसार होगा	15.0	अधितकम 15 अंक
(i)	रेलवे परियोजनाओं में वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए 01 वर्ष तथा कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स) के लिए 01 वर्ष व्यावसायिक अनुभव पर	10.0	
(ii)	रेलवे परियोजनाओं में 01 वर्ष के अलावा 01 वर्ष के अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव पर।	2.5	
(iii)	रेलवे परियोजनाओं में 02 वर्ष के अलावा 01 वर्ष या अधिक के अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव पर	2.5	

(ग) <u>व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण</u>:- अधिकतम-20 अंक

अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:

(क) संबंधित कार्य क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान : 10 अंक
(कार्य का व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान, गुणवत्ता जाँच, विनिर्देशन, संहिता प्रावधानों इत्यादि)

(ख) व्यक्तित्व, पहल एवं संप्रेषण कौशल : 05 अंक

(ग) सीएडी/सीएएम, सीएटीआईए, परियोजना प्रबंधन इत्यादि में निपुणता : 05 अंक

(9) <u>मासिक पारिश्रमिक</u>:- यह पूर्ण कालिक रूप से संविदा पर होगी और उनका मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित है:-

पद	शहर की श्रेणी (रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार)		
	"जेड" श्रेणी	"वाई" श्रेणी	"एक्स" श्रेणी
वरिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)	32000 रूपये	34000 रूपये	37000 रूपये
कनिष्ठ तकनीकी एशोसियट (निर्माण / वर्क्स)	25000 रूपये	27000 रूपये	30000 रूपये

(10) <u>अन्य हकदारी व सुविधाएं :</u>

(i) **<u>दैनिक भत्ता</u>**:- संविदा आधार पर नियोजित किए गए उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार दौरे पर जाने पर 500 रूपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। (0-6 घंटे-30 % , 6-12 घंटे-70 %, एवं 12 घंटे से अधिक-100 % ,) यह भत्ता सिवाय यात्रा भत्ता की दरों को छोडकर, रेलवे कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता के समान ही है।

(ii) **<u>छुट्टी हकदारी</u>:-** संविदा आधार पर नियोजित उम्मीदवारों को रविवार व राष्ट्रीय अवकाश अनुमेय है। तथापि उन्हें रविवार व राष्ट्रीय अवकाश को सम्मिलित करते हुए कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है, जिसकी एवज में उन्हें बाद में प्रतिपूरक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा संविदा आधार पर नियोजित उम्मीदवार को विनियोजन के प्रत्येक माह के पूर्ण होने पर 02 दिन का अवकाश देय होगा। जमा की गई छुट्टियाँ संविदा के पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाएगी तथा अगली संविदा अवधि (यदि कोई हो) में नहीं जोड़ी जाएगी।

(iii) **<u>मुख्यालय से कार्यस्थल तक यात्रा</u>:-** संविदा आधार पर नियोजित उम्मीदवारों को ड्यूटी पर जाने के लिए द्वितीय श्रेणी " ए " स्तर का ड्यूटी पास जारी किया जाएगा।

(iv) संविदा आधार पर नियोजित उम्मीदवारों को संविदा की अवधि में एक वर्ष के दौरान स्वयं व परिवार के लिए एक सैट मानार्थ पास दिया जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने संविदा विनियोजन में न्यूनतम तीन माह तक लगातार कार्य कर लिया हो। मानार्थ पास की हकदारी रेलवे में ग्रेड पे 1900 (छठे वेतन आयोग के अनुसार) में नियुक्त कर्मचारी के अनुरूप होगी।

(v) संविदा आधार पर नियोजित उम्मीदवार संविदा पर विनियोजन की अवधि के दौरान उसके कार्यस्थल के नजदीकी रेलवे अस्पतालों में स्वयं तथा परिवार के सदस्यों सहित निःशुल्क उपचार का हकदार होगा, सिवाय भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 622 (8) के अनुसार " विशेष " श्रेणियों की शल्य चिकित्साओं को छोडकर, तथा संविदा अवधि में उसके संबंधित क्षेत्रीय रेलवे अस्पतालों के सुपर स्पेशियलिटी केन्द्रों पर उपचार सामान्य रूप से उपलब्ध होगा।

(11) <u>अवधि</u>: संविदा आधार पर विनियोजन **अधिकतम एक वर्ष** या नियमित आधार पर **चयनित अभ्यार्थियों के उपलब्ध** होने या **परियोजना की समाप्ति पर,** जो भी **पहले हो,** तक होगा।

(12) <u>चिकित्सा परीक्षा</u>: उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा (सीनियर सैक्शन इंजीनियर तथा कनिष्ठ इंजीनियरों की सीधी भर्ती के लिए लागू) से गुजरना होगा, तथा संविदा आधार पर विनियोजन पर तब ही विचार किया जाएगा जब वे चिकित्सा परीक्षा में फिट पाए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षण नामित रेलवे अस्पतालों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा मैन्युअल भाग- 1 जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है, के अध्याय - 5 में दिए गए ए-3 के अनुसार चिकित्सा मानकों को पूर्ण करना होगा।

(13) <u>प्रशिक्षण</u>: संविदा आधार पर नियोजित किए गए अभ्यार्थियों को कार्य पर तैनात करने से पूर्व नियमों के उन्मुखीकरण, संरक्षा से संबंधित विनियम एवं पद्धति, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण पूर्ण होने पर फील्ड में तैनाती से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार की उपयुक्तता / सक्षमता की जाँच की जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो संविदा आधार पर नियोजित अभ्यार्थी को अन्य प्रशिक्षण चक्र / चक्रों में भेजा जाएगा।

(14) <u>सामान्य दिशा निर्देश:</u>

(i) उक्त पद उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण के अधिकार क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए सीमित अवधि के लिए है और रेलवे में **नियमित पद स्थापना** नहीं है। अधिसूचना में उल्लिखित के अलावा अन्य कोई परिलब्धियाँ या परिलाभ स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ii) संविदा आधार पर विनियोजन अभ्यार्थी को रेलवे में किसी प्रकार के नियमित रोजगार / आमेलन / विस्तार हेतु दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

(iii) सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत आवेदकों को आवेदन करते समय नियोक्ता का **अनापत्ति प्रमाण- पत्र** प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी नियुक्ति होने पर उनके संगठन से त्यागपत्र देना होगा।

(iv) एक माह का नोटिस देकर संविदा विनियोजन को समाप्त किया जा सकता है। संविदा आधार पर विनियोजन धारकों के कार्य निष्पादन की नियमित निगरानी की जाएगी तथा जो संविदाकर्मी अपनी ड्यूटी

को प्रशासन की अपेक्षानुसार निष्पादित करने में विफल रहते है, उन्हें 30 दिन का नोटिस देकर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। तथापि घोर लापरवाही / दुराचार / अनियमितताओं के मामले में विनियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

(15) <u>महत्वपूर्ण निर्देश:</u>

(i) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन-पत्र अच्छी गुणवत्ता वाले ए / 4 आकार के कागज में अधिसूचना में दिए गए अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरकर तथा सभी आवश्यक अनुलग्नकों (जैसे आयु-प्रमाण पत्र , शैक्षिणिक / व्यावसायिक अनुभव, जाति / समुदाय प्रमाण-पत्र आदि) की **<u>स्व:सत्यापित फोटो</u>** प्रतियों सहित प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा नीले / काले बाल पाइंट पेन का उपयोग कर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में स्वयं द्वारा भरना चाहिए।

(iii अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में दिए गए अनुसार अपना नाम, पिता का नाम / पति का नाम बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में लिखना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में पूछे गए अन्य विवरण भी इंगित किए जाने चाहिए।

(iv) हाल ही का पासपोर्ट आकार (3.5 x 3.5 सेमी), का एक रंगीन फोटोग्राफ आवेदन- पत्र पर निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से चिपकाया जाना चाहिए।

<u>नोट:</u> : छायाचित्र (3.5 x 3.5 सेमी), आकार का स्पष्ट रंगीन फोटो (आवेदन के आरंभ की तिथि से तीन माह पूर्व का नहीं हो) बिना टोपी और बिना रंगीन चश्में के आवेदन के मुख्य भाग पर चिपकाया जाना चाहिए । फोटो की फोटोस्टेट प्रति अनुमेय नहीं है।

उम्मीदवार को ज्ञात हो कि आवेदन पत्र पर पुराना / अस्पष्ट छायाचित्र चिपकाने या आवेदन-पत्र पर चिपकाये गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक रूप से उपस्थिति पर आवेदन-पत्र के फोटो से भिन्नता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर, आवेदनों को रेल प्राधिकारी अस्वीकार कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चयन के समय वैध फोटो आईडी सहित उनके साथ फोटो की **दो अतिरिक्त प्रतियां** तैयार कर साथ लावें।

(v) आवेदक के हस्ताक्षर पूर्ण और रनिंग में होना चाहिए, न कि ब्लॉक / बड़े अक्षरों या अलग-अलग अक्षरों में। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान में अंग्रेजी या हिंदी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

(vi) यदि आवेदन-पत्र पर बाएं अंगूठे के निशान (एलटीआई) नहीं लगाया है / धुंधला है / धब्बा वाला है, तो आवेदन निरस्त करने योग्य होगा।

(vii) आवेदक के पास अधिसूचना के आरंभ होने की दिनांक 27.08.2018 से पहले आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

(viii) पैरा 5 (ii) में उल्लेखानुसार शुल्क में छूट के लिए अनु.जाति / अनु.जनजाति / अल्पसंख्यकों / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को अपेक्षित जाति प्रमाण-पत्र / अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र या स्वयं घोषणा-पत्र / आय प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(ix) एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए अलग शुल्क सहित अलग डीडी और दस्तावेजों के साथ अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(x) रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्र / राज्य सरकार के विभाग में सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए या देरी से बचने के लिए नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे आवेदन करना चाहिए। संबंधित कार्यालय द्वारा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देरी से प्रेषित आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे देरी का कोई भी कारण हो। बिना **अनापत्ति प्रमाण- पत्र** के आवेदन की अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xi) इस अधिसूचना में दिए गए किसी भी नियम और शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर ही खारिज कर दिया जाएगा।

(xii) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु तैयार रहना चाहिए।

(xiii) व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की लघु सूची उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट (www.nwr.indianrailways.gov.in) पर अपलोड की जाएगी। पात्रता सूची के उम्मीदवारों को व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उनके द्वारा दिए गए पत्राचार पते पर बुलावा-पत्र जारी किए जाएंगे।

(xiv) अभ्यर्थियों को व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के दिन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा **स्व:प्रमाणित फोटो** प्रतियों का एक सेट साथ में लाने होंगे। उनके बिना उन्हें व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के दस्तावेज अंग्रेजी / हिंदी में स्व:प्रमाणित अनुवाद प्रमाण- पत्र के साथ होना चाहिए। मूल आवेदन में संलग्न दस्तावेज़ों की प्रतियों पर ही विचार किया जाएगा।

(xv) चयन के सभी स्तरों में अभ्यर्थी का प्रवेश निर्धारित पात्रता पूरा करने की शर्त पर पूरी तरह से अस्थायी होगा। उम्मीदवारों को केवल बुलावा-पत्र जारी करने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(xvi) पैनल के अंतिम रूप देने के बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त श्रेणी / पद और पदस्थापना की जगह निर्धारित की जाएगी।

(xvii) चयनित उम्मीदवार को, अगर चयन के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत / नकली पाए जाते हैं, तो इस तरह के निष्कासन के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे कार्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। संबंधित अधिनियम के अनुसार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय कार्यालय स्थित है।

(xviii) पात्रता, स्वीकृति या आवेदन अस्वीकार करने, अंतिम चयन, नियुक्ति प्रस्ताव, उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण) के लिए उपयुक्तता तथा पद आवंटित करने और वेतन से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन / स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय उम्मीदवारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(16) अमान्य आवेदन:

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और दस्तावेजों में निम्न में से कोई भी कमी / विसंगतियां पाए जाने पर आवेदन-पत्र अमान्य / निरस्त कर दिया जाएगा:-

(i) आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं है, और अपूर्ण है, या कोई कालम खाली छोड दिया गया है या अस्पष्ट आवेदन होने पर।

(ii) पैरा 15 (iv) के अनुसार **बिना फोटोग्राफ**, बांयें अंगूठे का निशान, **हस्ताक्षर रहित** आवेदन या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर के आवेदन होने पर।

(iii) बिना शुल्क या कम शुल्क के साथ आवेदन, अमान्य डी.डी. (अधिसूचना आरंभ होने की तिथि से पहले या अधिसूचना की समाप्ति तिथि के बाद जारी डी.डी. को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(iv) जन्म तिथि के साक्ष्यों के बिना आवेदन (अर्थात 10वीं / मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट / समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण- पत्र / शैक्षणिक प्रमाण- पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो) शैक्षणिक योग्यता इत्यादि।

(v) उपरी आयु या कम आयु, जन्मतिथि नहीं भरने या गलत तरीके से भरने पर।

(vi) अपेक्षित प्रमाणपत्रों की **<u>स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी</u>** संलग्न नहीं करने पर।

(vii) अधिसूचना की समाप्ति तिथि के बाद प्राप्त आवेदन।

(viii) अधिसूचना आरंभ होने की तिथि को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर।

(ix) दो या दो से अधिक पदों के लिए एक आवेदन करने पर।

(x) आवेदित पद के लिए रिक्ति अधिसूचित नहीं होने पर।

(xi) आवेदन पत्र में तिथि एवं स्थान इंगित नहीं करने पर।

(xii) अन्य कोई अनियमितता जिसे उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण द्वारा अमान्य माना गया है।

(17) इन सभी चयनों को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018 / ट्रांस सेल / एस एंड टी / संविदा स्टाफ दिनांक 16.03.2018 तथा उत्तर पश्चिम रेलवे पर निर्माण परियोजनाओं के लिए दिनांक 24.07.2018 को खुली भर्ती से संविदा आधार पर तकनीकी मानव शक्ति के विनियोजन हेतु जारी नीति तथा रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों के साथ पठित के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(18) मौजूदा नियमों के अनुसार रोजगार सूचना के नियम और शर्तों में कोई भी आगामी बदलाव अधिमान्य होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण, इस रोजगार सूचना के अंतर्गत चयन के लिए नियम और शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव / संशोधन / जोड़ना / रद्दीकरण जब कभी लागू हो, को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(19) पात्र उम्मीदवारों को व्यवसायिक व्यक्तित्व परीक्षण की तिथि, स्थान और समय की सूचना रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट द्वारा दी जाएगी। सामान्य सूचनाएं उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट (<u>www.nwr.indianrailways.gov.in</u>) पर अपलोड की जाएगी।

(20) आवेदन में किसी भी प्रकार की अनियमितता / कमी पाए जाने पर, उ.प. रेलवे / निर्माण के पास किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(21) किसी भी कानूनी विवाद के लिए, क्षैत्राधिकार केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर होगा।

(22) निर्वचन में किसी प्रकार का विवाद होने या कोई त्रुटि होने पर, अंग्रेजी रूपांतर को अंतिम माना जाएगा।

(23) उम्मीदवार आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए <u>www.nwr.indianrailways.gov.in</u> पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण)
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

उत्तर पश्चिम रेलवे

रोजगार सूचना सं. 01/2018 (उ.प.रे./निर्माण)

उत्तर पश्चिम रेलवे पर निर्माण परियोजनाओं के लिए खुली भर्ती से संविदा आधार पर तकनीकी मानव शक्ति (मैन पावर) की विनियोजन हेतु आवेदन पत्र

(कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएं।

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्वयं सत्यापित)

सेवा में,

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण),
कमरा नं. 524, 5 वी मंजिल,
उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय,
जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर, जयपुर – 302017

1. (अ) आवेदित पद का नाम ....

   (ब) कोटि (UR/OBC-NCL/SC/ST) जिसके विरुध्द आवेदन किया जा रहा है ....

2. फील्ड यूनिट का विकल्पः (I)........................(II)........................(III)........................

   (अभ्यर्थी आवेदन पत्र में विकल्प भरने से पूर्व अधिसूचना का पैरा 1 अवश्य देखें)

3. अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

4. अभ्यर्थी के पिता का नाम (बड़े अक्षरों में) :

5. (अ) जन्म तिथिः
   (मैट्रिक/हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

दिनांक	माह	वर्ष

   (ब) वर्तमान आयु (अधिसूचना आरम्भ तिथि को) :

वर्ष	माह	दिन

6. लिंग : पुरूष ☐ महिला ☐

7. समुदाय {अनारक्षित/अपिव (गैर–क्रीमी लेयर)/अजा/अजजा} : ....

8. राष्ट्रीयता : ....

9. अल्पसंख्यक : (हाँ/नहीं) : .... **(यदि हाँ, तो अनुलग्नक–II में स्वयं की घोषणा संलग्न करें)**

   (अ) अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/पारसी/जैन)..................................

10. आर्थिक पिछड़ा वर्ग : (हाँ/नहीं) : ....**(यदि हाँ, तो अनुलग्नक–III में दिए प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र संलग्न करें)**

11. पहचान चिन्ह : **(भरना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो कृपया 'निल' लिखें)** :

    I. ....

    II. ....

12. पत्राचार का पता :

....

....

....

.... राज्य .... पिन कोड ....

13. स्थायी पता :

....

....

.... राज्य .... पिन कोड ....

14. (I) एस.टी.डी. कोड सहित टेलीफोन नं. ....एवं मोबाइल नं. ....

(II) ई–मेल पता : ....

15. शैक्षणिक योग्यता : **(शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें) :**

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविधालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	डिवीजन / श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत

16. व्यावसायिक अनुभव का विवरण संक्षिप्त में **(प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें):**

क्र. सं.	नियोक्ता का विवरण		तैनाती का स्थान	पद / पदनाम	अवधि (माह एवं वर्ष)
	नाम	प्राईवेट / शासकीय / पीएसयू / अर्द्ध शासकीय			

17. संलग्न डिमांड ड्राफ्ट का विवरण :

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट नं.	जारी होने की तिथि	राशि

18. फीस वापसी : (हाँ / नहीं) :..............................

{यदि हाँ, तो कोटि पर (√) का निशान लगाएँ : अजा / अजजा / महिला / अल्पसंख्यक / आर्थिक पिछड़ा वर्ग}

फीस वापसी के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार बैंक का विवरण दिया जावें:

बैंक का नाम एवं स्थानः...

खाता सं. ....IFSC कोड...MICR सं...

19. क्या आप किसी शासकीय / पीएसयू / अर्द्ध शासकीय सेवा में कार्यरत हैं :(हाँ / नहीं) :...

(यदि हाँ, तो आवेदन, उचित माध्यम से या अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजें)

20. संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों की सूची :

क्रम सं.	संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

घोषणाः "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। यदि कुछ गलत या असत्य पाया जाता है, तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि गलती का पता मेरे चयन के बाद चलता है, तो मेरा विनियोजन समाप्त किया जा सकता है। मैं उत्तर पश्चिम रेलवे / निर्माण संगठन में कहीं भी तैनाती के लिए इच्छुक हूँ।"

स्थानः ....

दिनांकः ....

(बायें हाथ के अँगुठे का निशान)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में न हों)

(बड़े अक्षर में हस्ताक्षर करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा)

अनुलग्नक–II

अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रफॉर्मा संलग्न करना चाहिए

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री श्री ....
निवासी मौहल्ला ....ग्राम/कस्बा..शहर/जिला.......................राज्य ....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....(केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जरथुस्ट(पारसी)/जैन) समुदाय का सदस्य हूँ।

तारिखः........................ उम्मीदवार के हस्ताक्षरः....................
स्थानः........................... उम्मीदवार का नामः..........................

नोटः दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय जो कैन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अल्पसंख्यकों की सूची में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जरथुस्ट(पारसी)/ का सदस्य है।

अनुलग्नक–III

आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गो के लिए आय प्रमाण–पत्र

आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों द्वारा शुल्क छूट की घोषणा का प्रोफार्मा

1 उम्मीदवार का नाम :...

2. पिता का नाम :...

3. आयु :...

4. घर का पता :...

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में):...

जारी करने की तारीखः

हस्ताक्षरः..
नामः...
जारीकर्ता की मोहर............................

नोटः आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग से तात्पय वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50,000/– रू से कम है। आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की पहचान के लिए वार्षिक आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैंः

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी।
(2) उम्मीदवार अपने ही वर्तमान लोकसभा सदस्य सांसद जो उनके संसदीय क्षैत्र से चुने गये है।
(3) बीपीएल कार्ड धारक या भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के प्रोग्राम के तहत अन्य कोई प्रमाण–पत्र या रेलवे द्वारा इज्जत एमएसटी जारी की गई हो।
(4) कैन्द्रीय मंत्री जो उत्तर पश्चिम रेलवे/निर्माण को किसी भी उम्मीदवार के लिए सिफारिश करे।
(5) वर्तमान राज्यसभा सांसद द्वारा अपने जिले के किसी उम्मीदवार के लिए, जिसमें वे रहते है के लिए सिफारिश करे।

<u>अनुलग्नक–IV</u>

अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/*श्रीमती/*कुमारी .... *पुत्र/*पुत्री ....*गांव/शहर ....जिला/मंडल*.......................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*........................जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे निम्नानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त हैः **(लागू होने वाला एक टिक करें)**

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश–1950,

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश–1950,

*संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ राज्य क्षेत्र)(भाग ग राज्य) आदेश–1951,

*संविधान (अनुसूचित जनजाति)(संघ राज्य क्षेत्र)(भाग ग राज्य) आदेश–1951,

{अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (आशोधन) आदेश–1956, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम–1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम–1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम–1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम–1971 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम–1976 द्वारा यथा संशोधित}

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश–1956,

संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश–1959, जो अनुसूचित जाति व *जनजाति आदेश–1976 द्वारा यथा संशोधित,

संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश–1962,

संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश–1962,

*संविधान (पोंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश–1964,

*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश–1967,

*संविधान (गोवा, दमण व द्वीव) अनुसूचित जाति आदेश–1968,

*संविधान (गोवा, दमण व द्वीव) अनुसूचित जनजाति आदेश–1968,

*संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश–1970,

*संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जाति आदेश–1978,

*संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जनजाति आदेश–1978,

*संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश–1989,

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम–1990,

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम–1991,

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम–1996,

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम–2002,

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2002,

*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम–2002,

2. एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है। यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती....................................के पिता/माता.......................श्री/श्रीमती/कुमारी....................निवासी..................गांव/शहर.. ....जिला/मंडल...................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र....................................को जारी किये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो ....जाति/जनजाति से संबंधित है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र....................में..... ....द्वारा दिनांक ....को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में मान्यता प्रदान की गई है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................ के.................................. जिला/मंडल* .... गांव/शहर * में सामान्यतः निवास करते हैं।

*जो शब्द लागू न हो कृपया उन्हें काट दें।

@ कृपया राष्ट्रपति आदेश का सटीक हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को काट दें।

नोटः यहां इस्तेमाल किए गए पद सामान्यतः निवास का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। प्राधिकृत अधिकारी जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करें।

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी स्टाइपफेंडरी मजिस्ट्रेट/सब–डीवीजन मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से कम रैंक का न हो।
4. उस क्षेत्र का उप–मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
5. केंद्रीय या राज्य संरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिस से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप)

स्थान.............................. हस्ताक्षर...

दिनांक.......................... पदनाम..(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..

अनुलग्नक–V

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री.. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....जिला/मंडल/.......................................ग्राम/शहर .... के निवासी हैं जो ....समुदाय के है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक ... . के संकल्प संख्या .... के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप मे मान्यता प्राप्त है।*

श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या उनका परिवार सामान्यतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ....जिला/मंडल के निवासी है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्थापना(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (नवोन्नत वर्ग) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013–स्थापना(आरईएस), दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017 द्वारा आशोधित, से संबद्ध नहीं है।

दिनांक : जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त आदि
(मुहर)

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछडा वर्ग के अंतर्गत आती है।

* समय–समय पर यथासंशोधित

नोटः यह प्रयुक्त शब्द **''सामान्यतया''** का वही अर्थ होगा जो अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 में है ।

अनुलग्नक–VI

अपिव उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली गैर-क्रीमी लेयर घोषणा

आवेदन पत्र के साथ अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा हेतु प्रपत्र। मैं .... पुत्र/पुत्री श्री.. ग्राम/शहर/नगर ....जिला .... राज्य .... एतद द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं .... समुदाय (उपजाति लिखें) से सम्बन्धित हूं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93–स्था (एससीटी) में दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा पिछडा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मै उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.09.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2003–स्थापना (आरईएस), दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) से संबद्ध नहीं हूं।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... उम्मीदवार के हस्ताक्षरः.........................

उम्मीदवार का नामः...............................